सं.11011/06/2023-रा.भा. (अनु.)
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
.....

एन.डी.सी.सी. ।। भवन, चौथा तल
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 31 अक्तूबर, 2023.

कार्यालय ज्ञापन

विषय: हिंदी सलाहकार समितियों के सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने के संबंध में ।

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में हिंदी सलाहकार समितियों के सदस्यों को नामित किया जाता है। इस संबंध में सलाहकार समितियों के गैर-सरकारी सदस्यों की यह मांग मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से राजभाषा विभाग में आती रहती है कि हिंदी सलाहकार समितियों के सदस्यों को पहचान पत्र जारी किया जाए अथवा नहीं। इस संबंध में राजभाषा विभाग के दिनांक 07.09.2017 के का०ज्ञा० सं० 12011/01/2017-रा.भा.(नीति) का संदर्भ देते हुए पुनः स्पष्ट किया जाता है कि सलाहकार समितियों के सदस्यों को मंत्रालयों/विभागों अथवा कार्यालयों के निरीक्षण का अधिकार नहीं है। साथ ही, इन समितियों की बैठकें वर्ष में आमतौर पर दो बार आयोजित की जाती हैं। इसलिए इन समितियों के गैर-सरकारी सदस्यों के लिए किसी प्रकार के स्थायी परिचय पत्र आदि की आवश्यकता महसूस नहीं की जाती है।

सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन अनिवार्य/अपरिहार्य रूप से सुनिश्चित करें।

मीनाक्षी जौली

(डॉ. मीनाक्षी जौली)
संयुक्त सचिव (राजभाषा)

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त सचिव (प्रशासन/राजभाषा) ।